राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकः प. 4(14)गृह/ग्रुप–7/2007 जयपुर, दिनांकः 01.08.07

स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. पदस्थापनः–

1.1 किसी भी राज्य कर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) को प्रथम नियुक्ति पर किये गये पदस्थापन की अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी। इस अवधि से पूर्व निम्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

1.1.1 प्रशंसनीय कार्य निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहन के लिये राज्य कर्मी के आवेदन पर।

नोटः–प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के प्रकरण वे होंगे जिनमें विभागाध्यक्ष द्वारा औपचारिक प्रशस्ति पत्र जारी किया गया है।

1.1.2 कार्य बाबत शिकायत होने एवं शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर

1.1.3 अन्यत्र रिक्त पद भरने की अत्यावश्यक परिस्थिति पैदा होने पर।

1.2 प्रत्येक वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी को सीमा गृह रक्षा में कम से कम एक साथ या विभिन्न चरणों में पॉच वर्ष की सेवा करना आवश्यक होगा।

1.2.1 विदेश प्रशिक्षण से लौटे कर्मचारी/अधिकारी के ज्ञान का विभाग को समुचित लाभान्वित किये जाने हेतु ऐसे अधिकारी /कर्मचारी को सम्बद्ध शाखा में कम से कम एक वर्ष तक रखा जायेगा।

1.2.2 प्लाटून कमाण्डर से कमाण्डेंट पद के अधिकारियों का निदेशालय, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर गृह जिले में पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

1.2.3 'आरक्षी से उप समादेष्टा/उप नियन्त्रक तक के अधिकारियों / कर्मचारियों का पदस्थापन एक ही स्थान पर पॉच वर्ष से अधिक तथा अलग अलग समय में एक स्थान पर विभिन्न पदों पर 12 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

1.2.4 पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रत्येक राज्य कर्मी का मुख्यालय परिवर्तित किया जा सकेगा।

1.2.5 सेवा निवृत्ति की अवधि में 2 वर्ष शेष रहने की सूरत में राज्य कर्मी को गृह जिले के पास यथासम्भव उसके द्वारा ऐच्छिक जिले में पदस्थापित किया जायेगा।

2— <u>स्थानान्तरणः—</u>

2.1 नीचे वर्णित परिस्थितियों को छोड़ किसी भी राज्य कर्मी का दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जायेगाः—

2.2 प्रथम दृष्टया विश्वसनीय शिकायत के आधार पर।

2.3 राज्यकर्मी की कार्य दक्षता बाबत असन्तुष्टि होने पर

नोटः— प्रशासनिक दायित्व निष्पादन करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के सन्दर्भ में अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण एवं प्रबन्धकीय कार्य कुशलता में कमी पाये जाने पर उनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

2.4 अच्छे कार्य निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में ऐच्छिक स्थान चाहे जाने पर।

2.5 पदोन्नति पर।

3— <u>स्थानान्तरण के लिए आवेदन की व्यवस्थाः—</u>

3.1 पदस्थापन की दो वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद राज्यकर्मी द्वारा ऐच्छिक स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग को आवेदन किया जा सकेगा।

3.2 महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन/स्थानान्तरण अभ्यावेदनों पर विचार करते समय (जब भी सामान्य तौर पर स्थानान्तरण किये जाने हो) राज्य कर्मी के कार्य दक्षता एवं ऊपर वर्णित प्रावधानों को ध्यान में

Scanned by CamScanner

रखकर आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लिया जायेगा।

3.3 परन्तु जिन प्रकरणों में पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उनमें महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भेजा जायेगा।

4 <u>विशेष परिस्थितियों में छूटः—</u>

स्वयं या परिवार के सदस्यों की असाध्य बीमारी के इलाज की आवश्यकता या ऐसी किसी विशेष परिस्थिति जिसमें सहानुभूति पर आधारित पदस्थापन/स्थानान्तरण अपेक्षित हो, राज्य सरकार की सहमति से इस नीति की व्यवस्था में छूट देते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner